बिहार सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष-2022-23, 2023-24

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

22/बी, हार्डिंग रोड, पटना, बिहार

0612 2217188 scpcr.bihar@gmail.com www.http://bscpcr.org.in

"Every Child Deserves a safe
and
Healthy Childhood."

अनुक्रमणिका

	पृष्ठभूमि	पृष्ठ संख्या
	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग - परिचय	6
1	आयोग के कार्य एवं दायित्व	7
2	आयोग के सामान्य कार्यालय व्यवहार की प्रक्रिया	8
3	आयोग को प्रदत शक्तियां	9
4	आयोग का लक्ष्य	9
5	कार्यकाल	11
6	आयोग	11
7	प्रशासकीय एवं सहयोग संरचना	12
	बाल अधिकार एवं विधिक व्यवस्था	14
1	बच्चों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार	15
2	बाल अधिकार समझौते के मार्गदर्शक सिद्धांत	16
3	बाल अधिकार का इतिहास	16
4	भारतीय संविधान में बच्चों के लिए सुनिश्चित किये गये खास अधिकार	16
	बच्चों से संबंधित प्रमुख कानून	17
	पोक्सो के कार्यान्वयन की स्थिति	22
1	पोक्सो नियम	24
2	पोक्सो के कार्यान्वयन की स्थिति	25
3	पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मीडिया के लिए विशेष दिशा निर्देश प्रावधान	26
4	पोक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं	27
5	पोक्सो के तहत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य	28
	महिला एवं बाल विकास निगम	31
	बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनाएं	33
	अन्य सेवाएं एवं कार्यक्रम	34
	बाल हृदय योजना	36
	आर.टी.ई. 2009	38
	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009	39
1	आर.टी.ई. एक्ट के अनुपालन में आयोग की भूमिका	39
	किशोर न्याय अधिनियम, संशोधन एवं आयोग की जिम्मेदारियां	41
1	जे.जे. एक्ट 2021	42
2	किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम का विकास	43
3	जे.जे. एक्ट और आयोग द्वारा प्रयास	44
	ऑनलाईन संवेदीकरण कार्यशाला	45
	उद्देश्य	46
	आयोग द्वारा किये गये अन्य कार्यक्रमों की झलकियाँ	49

पृष्ठभूमि

शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ को सर्वांगीण रूप से सामने लाना है।
- महात्मा गाँधी

शारीरिक और मानसिक रूप से खुशहाल बच्चे किसी भी राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि एवं सुदृढ़ता का सूचक होते हैं। यह राष्ट्र की मूल जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा एवं उनका संरक्षण हो । इस संदर्भ में भारत सदैव अग्रणी रहा है। यह न केवल बाल अधिकारों के घोषणा पत्र का भी अधोहस्ताक्षरी रहा है बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है।

देश में बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित कई कानून बने जिसमें समय-समय पर परिवर्तन भी किया जाता रहा है। हमारे देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 लागू किया गया है। भारत सरकार ने विविध अन्तर्राष्ट्रीय संधियों तथा बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में यह अधिनियम लागू किया है जो वर्ष 2006 में असाधारण राजपत्र में अधिसूचना जारी कर प्रकाशित किया गया है।

वस्तुतः बच्चों में किया जाने वाला निवेश राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए किये जाने वाला निवेश है। सभी आयामों पर विकसित एवं खुशहाल बच्चे भविष्य में एक सशक्त युवा बनते हैं, जो अपनी क्षमताओं से अर्थव्यवस्था को सुदृढ करते हैं, प्रत्येक रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन बेहतर ढंग से करते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त करते हैं। भारत के संविधान ने लिंग, उम्र, जाति और आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष बच्चों सहित अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया है। संविधान द्वारा बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं ।

अनुच्छेद 15(3) राज्य को अनुमति देता है कि बच्चों के हितों में विशेष प्रावधान करें | अनुच्छेद 21 बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 24 में यह उल्लेखित है कि खतरनाक कार्यों के नियोजन में 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में लगाया जाना प्रतिबंधित है ।

इसके अतिरिक्त राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 (ई) तथा (एफ) एवं अनुच्छेद 45 राज्य को बाल अधिकारों से संबंधित विशेष जिम्मेदारी देते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अध्याय 02 के धारा 03 में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है एवं अध्याय 04 के धारा-17 में राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में प्रदत्त शक्ति के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में विस्तार पूर्वक राष्ट्रीय तथा राज्य आयोगों के कार्य तथा शक्तियां वर्णित की गई हैं। अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत आयोग के कार्यों का वर्णन है। अधिनियम की धारा-14 के तहत विहित विषयों की जाँच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के समान वे सभी शक्तियाँ दी गई हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है। अधिनियम की धारा-15 में जाँच के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही का विवरण है।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौता पत्र 1989 में वर्णित बच्चों के सभी अधिकारों को निम्न चार वर्गों में विभाजित कर देखा जा सकता है-

इन अधिकारों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान किये गये हैं। सभी प्रकार के बच्चों का विशेष तौर पर विधि विरुद्ध एवं देख-रेख की आवश्यकताओं वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनके अधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित हो, इसके लिये विभिन्न अधिनियम बनाये गये । यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि इस संबंध में किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (वर्तमान में 2015) एवं संबंधित नियमावली विशेष तौर पर बच्चों के संबंध में ही बनाये गये । इसका पुनः संशोधन वर्ष 2022 में हुआ है। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, जिनके माध्यम से देश में बच्चों के अनुकूल और सुरक्षात्मक वातावरण निर्मित किये गये है।

वैज्ञानिक सिद्धांत एवं संविधान में प्रदत्त अधिकारों के आलोक में बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और उनका कोई संगठित संबोधन भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है । गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र सीमा के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों हेतु विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के प्रभावशाली कार्यान्वयन में बाल संरक्षण आयोग जैसे संरचनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है जो विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर बाल संरक्षण के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करता है। वर्तमान समय एक संक्रमण काल है औद्योगिक क्रांति के बाद ज्ञान आधारित समाज विकसित हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा पर निवेश से भविष्य में 'ह्यूमन कैपिटल' में वृद्धि होगी जो किसी भी निवेश से अधिक कारगर होगा ।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

परिचय

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक स्वतंत्र संगठन है जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अध्याय 04 धारा-17 में राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण के अन्तर्गत संगठित किया गया है आयोग को अधिनियम की धारा-14 के तहत विहित विषयों की जाँच करते समय सिविल न्यायालय के समान वे सभी शक्तियाँ दीं गईं हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं।

1. आयोग के कार्य एवं दायित्व

1. बाल अधिकारों पर सम्मलेन के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए विद्यमान विधि, नीति और प्रथा का विश्लेषण करना।
2. शिशुओं को प्रभावित करने वाली प्रथा या नीति के किसी पहलू की जाँच पड़ताल करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नये विधान पर मंतव्य देना।
3. बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रक्षोपाय के कार्य प्रणाली पर राज्य सरकार को वार्षिक और ऐसे अनन्य अन्तरालों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जैसा कि आयोग उचित समझे।
4. हाशिए पर रहने वाले तथा संवेदनशील परिस्थितियों में ग्रस्त बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट कार्यक्रमों और प्रयासों का संचालन करना जैसे बलिकाएं, विमुक्त जाति (डीनोटीफाइड) एवं विशेष योग्यजन बच्चे, बाल मजदूर, परिवार विहीन और निराश्रित बच्चें, यौन उत्पीडन व मानव व्यापार के शिकार बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, सेक्स वर्कर्स के बच्चे, एचआईवी / एड्स से प्रभावित बच्चे, प्राकृतिक आपदा तथा अन्य आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित बच्चे, विकास सम्बंधी विस्थापन से प्रभावित बच्चें, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चें, इत्यादि।
5. बाल अधिकारों के संरक्षण, राष्ट्रीय आयोग के साथ समन्वय करना तथा अंतरंगता स्थापित करना।
6. आयोग ऐसे मुद्दे पर विचार नहीं करेगा या उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगा जो बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के विचाराधीन थे।
7. जहाँ स्वयं शिशुओं द्वारा या उनकी ओर से सम्बद्ध व्यक्ति की चिन्ता व्यक्त की गई हो वहां औपचारिक जाँच-पड़ताल करना।
8. बाल अधिकारों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश, प्रोटोकॉल और पारदर्शिता मानक निर्धारित करके अभिशासन प्रक्रिया को बच्चों के प्रति जवाबदेह बनाना|

9. बाल अधिकारों को सभी स्थानीय निकायों, संबंधित विभागों, और समाज की विकास कार्यसूची के केंद्र में लाना |

10. परिवारों समुदायों तथा बच्चों की देखभाल व संरक्षण के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों व निकायों का सुदृढीकरण करना ।

11. बाल अधिकारों के उल्लंघनों की शिकायतों की जांच पड़ताल करते समय आयोग राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकार या संगठन से यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना या प्रतिवेदन की मांग कर सकेगा । किन्तु यदि आयोग द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर सूचना या प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं शिकायत की जाँच पड़ताल करने की कार्रवाई कर सकेगा ।

12. यदि सूचना या प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग का समाधान हो जाए कि आगे किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है या यह कि अपेक्षित कार्रवाई संबद्ध सरकार या प्राधिकार द्वारा प्रारंभ कर दी गई है तो यह उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा और तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकेगा।

13. यह सुनिश्चित करना कि आयोग के कार्य शिशुओं के प्रत्यक्षतः सूचित विचारों पर आधारित हों कि उनकी प्राथमिकताएँ एवं परिप्रेक्ष्य परिलक्षित हैं।

14. अपने कार्यों में तथा बच्चों से संबंधित सभी सरकारी विभागों और संगठनों में बच्चों के विचारों को प्रोत्साहित करना, उनका सम्मान करना एवं उनपर गंभीरता पूर्वक विचार करना।

15. बच्चों से संबंधित आंकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण करना। आयोग विशेषज्ञों एवं शोध संस्थानों के सहयोग से आँकड़ा संग्रहण एवं संकलन का विशेष कार्यक्रम चला सकेगा, यदि आयोग को यह महसूस होता हो कि किसी विषय विशेष कर पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

16. बाल अधिकारों के बारे में जानकारी विकसित करना और उनका प्रचार-प्रसार करना जिसमें अपना बेबसाइट बनाना भी शामिल है।

17. विद्यालय के पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, पुलिस एवं सरकारी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा शिशुओं से संबंध रखने वाले अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोत्साहित करना ।

2. आयोग के सामान्य कार्यालयी व्यवहार की प्रक्रिया

1. आयोग अपने पटना स्थित कार्यालय में ऐसे समय में नियमित बैठक करेगा जो अध्यक्ष उचित समझें, किन्तु इसकी पिछली एवं अगली बैठक के बीच तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा ।

2. आयोग की बैठक सामान्यत: इसके कार्यालय में होगी | अध्यक्ष अथवा सदस्य यदि आवश्यक समझें अथवा ऐसा करना समीचीन हो तो अपनी बैठकें राज्य के किसी अन्य स्थान पर कर सकेंगे।

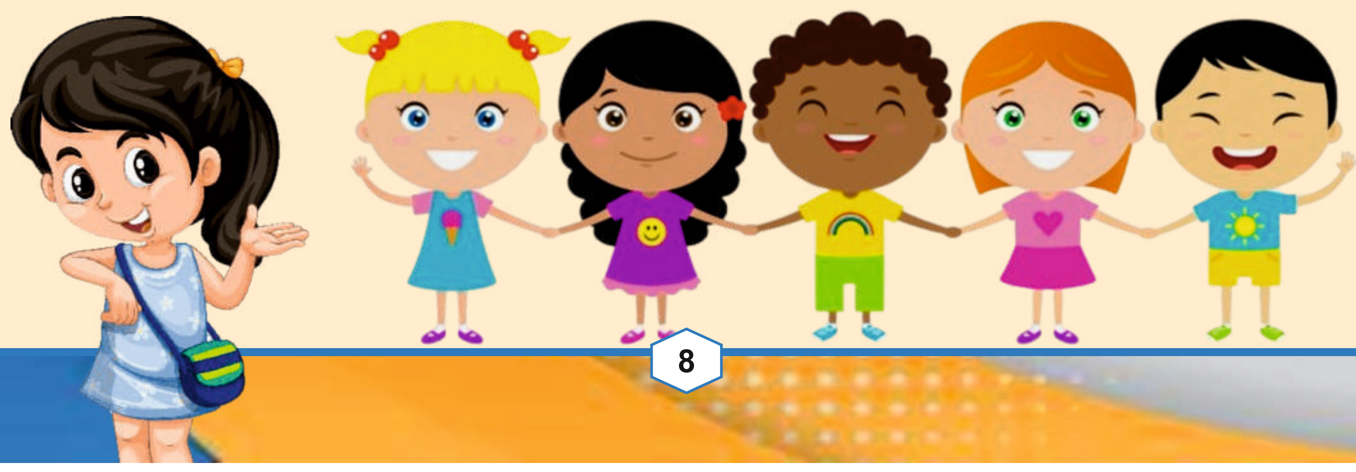

3. जिनमें तत्काल ध्यान देना अपेक्षित हो उन मामले को छोड़कर सामान्यतया बैठक से कम से कम दो स्पष्ट कार्य दिवस पूर्व कार्य सूची प्रत्येक सदस्य को प्रचारित किया जाएगा ।

4. आयोग की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी ।

5. आयोग की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेगें, परन्तु बराबर-बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

6. यदि अध्यक्ष, किसी कारणवश आयोग की बैठक में शामिल होने में असमर्थ हों, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

3. आयोग को प्रदत्त शक्तियां

1. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आयोग राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि व्यय करेगा ।

2. सिवाय उन मामलों के जिनमें राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, अध्यक्ष को वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सारी शक्तियां होंगी ।

3. पदों के सृजन, नियुक्ति, वेतनमानों के पुनरीक्षण, वाहनों की व्यवस्था, एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोग, विदेशों में या अन्य राज्यों में विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आयोग के किसी पदाधिकारी को अनुमति प्रदान करने के मामलों में और राज्य सरकार के आदेश द्वारा यथा अवचारित अन्य मामलों में अध्यक्ष राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

4. यथा अवधारित शर्तों, सीमा, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्याधीन, अध्यक्ष अपनी वितीय शक्तियाँ किसी सदस्य या सचिव को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त होगा परन्तु एक लाख रूपये से अधिक व्यय वाले किसी मद की बाबत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी कोई शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी ।

5. वित्तीय मामलों के संबंध में अध्यक्ष या उनकी ओर से किसी अन्य सदस्य द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने की शक्ति सचिव की होगी ।

6. आयोग सभी वित्तीय शक्तियों राज्य वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी अन्य नियमों एवं निर्गत अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी|

4. आयोग का लक्ष्य-

1. किशोरों का अधिकतम विकास सुनिश्चित करने के लिए समान अवसरों की व्यवस्था करना और विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के अधिकारों को साकार करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना।

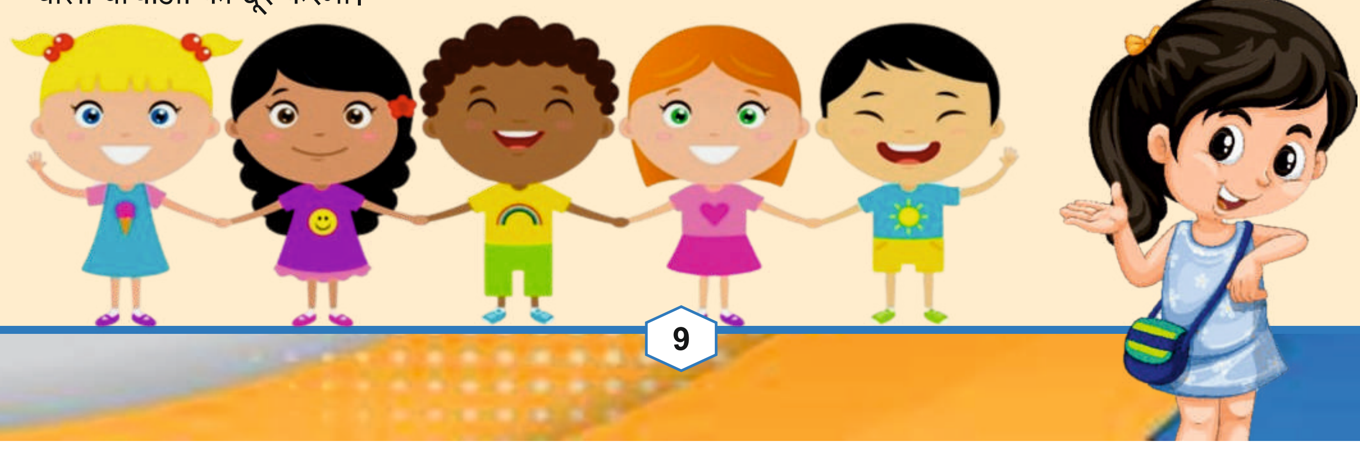

2. बाल अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करना और बच्चों से संबंधित अभिशासन प्रक्रियाओं को मजबूत करना |

3. कानूनों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यवाहियों में निष्पक्षता तथा बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हितों की रक्षा के सिद्धांत का पालन करना ।

4. ज्ञान के सृजन, अद्यतन और प्रसार में निवेश करते हुए राज्य में बाल अधिकारों पर संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना ।

5. राज्य में बच्चों का पूर्ण विकास, खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक मार्गदर्शन, सहायता, देखरेख और सलाह देना ।

6. कार्यक्रमों के बाल-केंद्रित एवं अधिकार आधारित नियोजन व क्रियान्वयन करना।

7. प्रभावों की निगरानी तथा विभिन्न बाल अधिकार संकेतकों पर मिली सफलता को मापने की पद्धतियां विकसित करके विनियमन एवं देखरेख व्यवस्था के रूप में काम के परिणामों में अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना ।

8. प्राकृतिक आपदाओं तथा आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित बच्चों की देखरेख, सुरक्षा और पुनर्वास हेतु नीति- निर्माण, राहत कार्य, मनो-सामाजिक देखभाल एवं अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस कदम उठाना।

9. सरकार के सभी कार्यों और क्षेत्रों, नागरिक समाज की कार्यवाहियों, मीडिया प्रतिवेदन इत्यादि में बाल-मैत्रिक मापदण्डों एवं मानकों की स्थापना करना ।

10. बच्चों के अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पद्धतियों और तंत्रों को समुचित शिक्षित एवं सशक्त करना ।

11. बच्चों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रणाली तथा अभिशासन के सभी स्तरों पर बच्चों की सहभागिता एवं सुनवाई के अधिकार को प्रोत्साहन देना ।

12. राज्य के भीतर अन्तर्राज्यीय, अंतर्क्षेत्रीय, अंतर्विभागीय तथा विभिन्न स्तरों पर समन्वय और आदान-प्रदान को मजबूत करके विकास कार्यावली में बच्चों के अधिकारों का समावेश करना ।

5. कार्यकाल

क्रम संख्या	आयोग	कार्यालय		अध्यक्ष एवं सदस्यगण
		कब से	कब तक	
1	चतुर्थ आयोग	**26.02.2020**	**25.02.2023**	प्रो. (डॉ) प्रमिला कुमारी अध्यक्ष
		27.07.2020	**26.07.2023**	श्रीमती सुनंदा पांडेय सदस्य

6. आयोग

प्रो. (डॉ) प्रमिला कुमारी
(अध्यक्ष)
(26.02.2020 से 25.02.2023)

डॉ प्रमिला एक प्रख्यात समाजसेवी रहीं हैं । मगध विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में एम.ए तथा पी.एच.डी कर चुकीं हैं। वर्ष 1994 में नवादा के एस.के.एम. कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हुई । वर्ष 2002 से नवादा में महिला अपराध नियंत्रण कोषांग की परामर्शी रहीं । वर्ष 2010 से मगध विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की सदस्य हैं । राजनीति में काफी सक्रिय रहती हैं साथ ही बच्चों, औरतों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाती आयीं हैं । बाल विवाह, एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए जागरुकता फैलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं | एक शिक्षक होने के नाते, बच्चों और महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाया है और कई स्कूल, कॉलेज में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया है।

श्रीमती सुनंदा पांडेय
(सदस्य)
(27.07.2020 से 26.07.2023)

आयोग की सदस्या के रूप में कार्यरत सुनंदा पांडेय जी ने दो विषयों में विशेषज्ञता के साथ बी. आई.टी मेसरा से एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त कीं । शिक्षा पत्रकारिता एवं मानव संसाधन से एम बी में कार्य करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है । पत्रकारिता के अपने कॅरियर के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के दो अखबारों के साथ जुड़कर काम किया है। उन्होंने पटना के एक प्राईवेट मीडिया कॉलेज में मीडिया एवं मार्केटिंग विषय आधारित शैक्षणिक कार्य भी किये । इनके विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के कई मीडिया संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं । अपने अकादमिक कीर्तिमानों एवं व्यापक कार्यानुभव के साथ वह बच्चों के अधिकार के प्रति कार्य करने में सक्रिय रही हैं । बाल अधिकार संरक्षण की अच्छी समझ रखने वाली एवं इसके प्रति समर्पित श्रीमती सुनंदा पांडेय जी एक प्रखर वक्ता हैं । बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के उनके कार्यकाल के पूर्व भी वह बाल मुद्दों पर कार्यरत कई समाजिक संस्थाओं को बौद्धिक सहयोग प्रदान कर रही थीं।

८. प्रशासकीय एवं सहयोग संरचना

सुश्री मार्गण सिन्हा,(बि०प्र०से०)
सचिव

श्रीमती कविप्रिया
बाल संरक्षण पदाधिकारी

श्रीमती अनीता
बाल संरक्षण पदाधिकारी

श्री प्रशांत
प्रशासी पदाधिकारी

श्री राजेश किशन
बाल संरक्षण पदाधिकारी

सहयोगी टीम

श्री रजनीश कुमार
श्री प्रेम निति कुमार
श्री राजकुमार सिंह
श्री रोहित श्रीवास्तव

अपने विजन और मिशन की पूर्ति के लिए बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल नागरिकों को प्रदान किए गए संवैधानिक प्रावधानों से बंधा हुआ है और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि राज्य के किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव न हो और बच्चों के जीवन से संबंधित सभी सवालों पर उनके श्रेष्ठतम हितों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाए।

बिहार बाल अधिकार एवं विधिक व्यवस्था

बाल संरक्षण का मुद्दा एक जटिल विषय है और इसके लिए एक व्यापक और बहु-उद्देश्यीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, संरक्षण, विकास, शिक्षा, प्यार, स्नेह और मनोरंजन जैसी कई आवश्यकताएं होती हैं। कुछ बच्चे जो एचआईवी/एड्स अथवा निःशक्तता से पीडित होते हैं, उनके निगरानी और देखभाल की विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति की जानी होती है। इसके अतिरिक्त कानून के संपर्क में आये किशोरों की अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं जिनके लिए पुलिस, न्यायपालिका, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बच्चे को उत्तम जीवन एवं विकास का जन्मजात अधिकार है। इसके अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं उनकी शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, जिनका उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व, योग्यता व मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास करना है।

1. बच्चों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार

जीवित रहने का अधिकार

इस अधिकार में वे मूल या मौलिक अधिकार शामिल हैं, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं।

विकास का अधिकार

बच्चों को भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास के सभी रूपों का अधिकार है।

संरक्षण का अधिकार

यह अधिकार बच्चों के घर या अन्य जगहों पर हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाव और सुरक्षा के अधिकार पर जोर देता है।

भागीदारी का अधिकार

इस अधिकार के तहत बच्चों के बोलने, व्यक्त करने और उन सभी निर्णयों और कार्यवाहियों (न्यायिक कार्यवाही सहित) में भाग लेने के अधिकार को संदर्भित करता है जो उनके जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

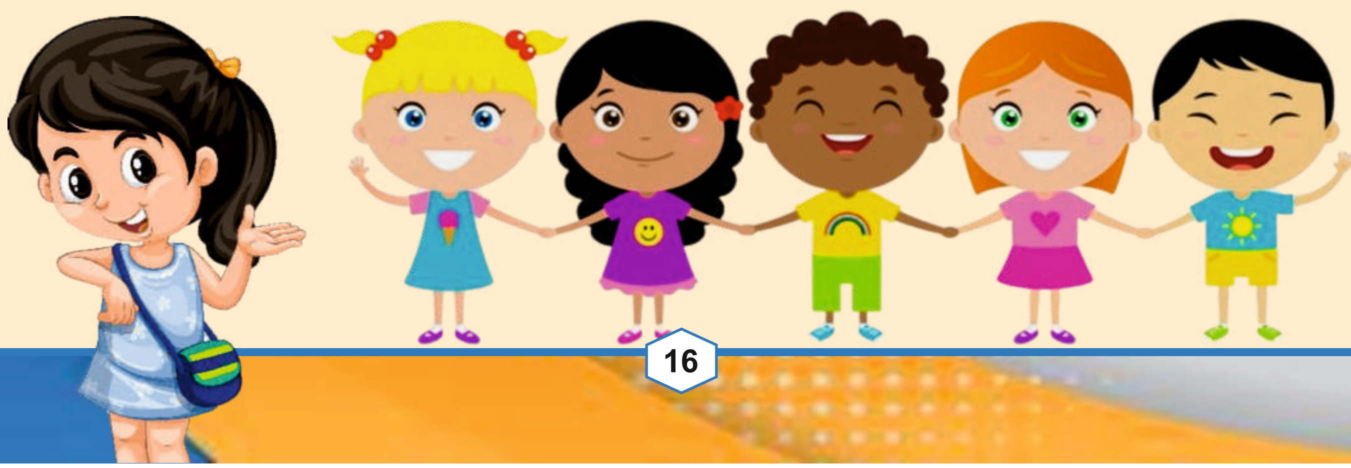

2. बाल अधिकार समझौते के मार्गदर्शक सिद्धांत

अनुच्छेद 1	इसके अनुसार 18 साल से कम का हर व्यक्ति बच्चा है।
अनुच्छेद 2	यह समझौता सभी पर एक समान रूप से लागू है। चाहे वो किसी जाति, धर्म, वर्ग, योग्यता या पृष्ठभूमि का हो।
अनुच्छेद 3	बच्चों के लिए काम करने वाली सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्था बच्चों के सर्वोच्च हितों के लिए काम करेगी।
अनुच्छेद 6	सभी बच्चे को जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों की जीवन की रक्षा तथा विकास को सुनिश्चित करना सरकार का काम है।
अनुच्छेद 7	प्रत्येक बच्चे को क़ानूनी रूप से अपने नाम, पंजीकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके माता पिता कौन हैं
अनुच्छेद 12	यदि बड़े (वयस्क) कोई ऐसा फैसला ले रहे हों जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है। बच्चों को यह भी अधिकार है कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाये एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी परिपक्वता के अनुसार जोड़ा जाए।

3. बाल अधिकार का इतिहास

समूचे विश्व के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ प्रारंभ समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। यह वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है।

4. भारतीय संविधान में बच्चों के लिए सुनिश्चित किये गये खास अधिकार

अनुच्छेद 21-क	6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा।
अनुच्छेद 24	14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा।
अनुच्छेद 39(घ)	आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे काम में भेजना जो बच्चों की आयु या समता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा।
अनुच्छेद 39(च)	बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना।

बच्चों से संबंधित प्रमुख कानून

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुन; मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबन्धित प्रक्रियाओं तथा इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम ।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारत में किशोर न्याय की प्राथमिक कानूनी व्यवस्था है। इस अधिनियम में किशोर उपचार की रोकथाम और उपचार प्रक्रिया के प्रति विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, उपचार तथा पुर्नवास की व्यवस्था का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बालक (बच्चे) की श्रेणी में आयेगा। यदि कोई बालक चोरी, मारपीट, तस्करी, लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या या अन्य किसी ऐसे प्रकरणों में संलिप्त पाया जाता है, जो कानून के हिसाब से विधि विवादित हो तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी प्रक्रिया प्रदान करेंगें। इसके अतिरिक्त निराश्रित बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के प्रावधान भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। इसके अन्तर्गत विधि विरूद्ध बालकों हेतु जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बालकों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसमें माननीय न्यायधीशों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। साथ ही अधिनियम के अन्तर्गत उक्त सभी बच्चों के पुर्नवास हेतु व्यक्तिगत देखरेख योजना का प्रावधान है जो सभी बच्चों को व्यक्ति विशेष के रूप में देखने का दृष्टिकोण प्रदान करता है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3), अन्य बातों के साथ राज्य का बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से सम्बन्धित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत किया है ।

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम

से संरक्षित और सम्मानित किया जाए ।

यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति में प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए ;

.... बालक के अधिकारों से सम्बन्धित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है,

(क) किसी विधिविरूद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना

(ख) वैश्यावृत्ति या अन्य विधि विरूद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना।

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक उपयोग करना।

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं, और उन पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं।

पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष के कम उम्र के सभी बच्चों को यौन शोषण से बचाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण कानून है ।

धारा 3 व 4—प्रवेशन लैंगिक हमला—कम से कम दस वर्ष सजा, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 5 व 6—गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला—कम से कम दस वर्ष सजा, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 7 वे 8—लैंगिक हमला—कम से कम तीन वर्ष सजा, जिसे पांच वर्ष और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 9 व 10— गुरूतर लैंगिक हमला—कम से कम 5 वर्ष सजा, जिसे 7 वर्षों और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 11 व 12— यौन शोषण—तीन वर्ष सजा और जुर्माना ।

धारा 13 व 14— अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग—पांच वर्ष सजा और जुर्माना तथा अनुवर्ती दोष सिद्ध होने पर 07 वर्ष सजा और जुर्माना ।

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेण और विनियमन) अधिनियम, 1986 ;

सभी उपजीविकाओं में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने तथा उनसे संबन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

परिभाषा— इस अधिनियम में "कुमार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूर्ण नहीं किया है;

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 :

छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्ध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकारों को प्रदान करने के लिए लागू होंगे ।

इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी ।

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 :

हिन्दुओं में अप्राप्तवयता और संरक्षकता से सम्बन्धित विधि के कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम ।

यह अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 का अनुपूरक होगा,– इस अधिनियम के उपबन्ध संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अतिरिक्त न कि, एतस्मिन पश्चात अभियक्ततरू उपबन्धित के सिवाय, उसके अल्पिकारक होंगे ।

अधिनियम का लागू होना–

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज या आर्यसमाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिन्दू हो

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति, को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिक्ख हो; तथा

(ग). ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवासित हो और धर्मतः मुस्लिम, ईसाई , पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबन्धित किसी भी बात के बारे में हिन्दू विधि या उस विधि के भाग–रूप में किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता ।

हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 :

हिन्दुओं में दत्तक तथा भरण–पोषण से सम्बन्धित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम ।

यह अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 के अनुपूरक हो – इस अधिनियम के उपबंध संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम ,1890 के अतिरिक्त न कि, एतस्मिन पश्चात अभियक्ततः उपबन्धित के सिवाय, उसके अल्पीकारक होगें।

अधिनियम का लागू होना–

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मों समाज, प्रार्थना–समाज या आर्यसमाज आतें हैं, पूर्णतः हिन्दू हों

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जौन या सिक्ख हो; तथा

(ग) ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो कोई भी ऐसा व्यक्ति एतस्मिन उपबन्धित किसी भी बात के बारे में हिन्दू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ि द्वारा शासित न होता।

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, (पी0सी0पी0एन0डी0टी0) 1994 :

गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात लिंग चयन के प्रतिषेध का और आनुवंशिकी अप्रसामान्यताओं या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं या कतिपय जन्मजात विकृतियों या लिंग–सहलग्न विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के विनियमन का तथा लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के, जिनके कारण कन्या भ्रूण हत्या हो सकता हो, दुरूपयोग के निवारण का तथा उनसे सम्बन्धित या उनकें आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति तभी दी जाती है, जब गर्भ को जारी रखने की सलाह नहीं दी गयी हो और गर्भ महिला के जीवन के लिए खतरा बन रहा हो और यह गर्भवती को गंभीर रोगों से पीड़ित बना सकता हो।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 :

इस अधिनियम के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरूष एवं 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी होती है तो वह 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या 181 महिला हेल्पलाइन या नजदीकी थाने या बाल कल्याण समिति या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई पुरूष जो 18 वर्ष की आयु से अधिक का है और 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की से विवाह करता है अथवा उसमें सहायक बनता है, तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास अथवा एक लाख रूपए का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद किये गये बाल–विवाह स्वतः ही शून्य (NULL) माने जायेंगे । किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता।

बाल श्रम (प्रतिषेध) संशोधित अधिनियम, 2016 :

इस अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो नियोजित हैं उनके हित/संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जाता है, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजन किसी भी प्रतिष्ठान / गैर सरकारी संगठन में पूर्णतया प्रतिबन्धित है। कोई भी व्यक्ति बालश्रम नियोजन के संबंध में बाल कल्याण समिति / जिला प्रोबेशन अधिकारी /नजदीकी थाने / श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। 14 से 18 साल की उम्र के किशोरों को कारखानों और अन्य ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटकों जैसे जोखिम वाले कार्यों के करने पर पाबंदी है। यह फिल्मों, विज्ञापनों, टी0बी0 उद्योग में बच्चों के काम पर लागू नहीं होता। बच्चों को रोजगार देने वालों को अब 6 महीने से 2 साल की सजा होगी या 20,000 से लेकर 50,000 रूपये तक का जुर्माना, या दोनों। दूसरी बार अपराध में संलिप्त पाए जाने पर नियोक्ता को एक साल से लेकर तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

पोक्सो के कार्यान्वयन की स्थिति

परिचय:

POCSO अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा की तथा इसमें संशोधन भी किया गया। भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है।

विशेषताएँ:

लिंग-निष्पक्ष प्रकृति:

अधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़कियाँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किये बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।
यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है तथा लिंग के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहिये।

मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:

न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान भी अब नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिये पर्याप्त रूप से जागरूक हैं क्योंकि रिपोर्ट न करना POCSO अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन है।

शर्तों की स्पष्ट परिभाषा:

बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के संग्रहण को एक नया अपराध बना दिया गया है।
इसके अलावा 'यौन उत्पीड़न' के अपराध को भारतीय दंड संहिता में 'महिला की लज्जा भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में (बढ़ी हुई न्यूनतम सज़ा के साथ) परिभाषित किया गया है।

POCSO नियम 2020:

अंतरिम मुआवज़ा और विशेष राहत:

POCSO नियमों का नियम-9 विशेष अदालत को FIR दर्ज होने के बाद बच्चे के लिये राहत या पुनर्वास से संबंधित ज़रूरतों हेतु अंतरिम मुआवज़े का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवज़ा अंतिम मुआवज़े (यदि कोई हो) के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

विशेष राहत का तत्काल भुगतान:

POCSO नियमों के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (CWC) ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक ज़रूरतों के लिये तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है। इसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया।

भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिये।

बच्चे के लिये सहायक व्यक्ति:

POCSO नियम CWC को जाँच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिये एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है।

सहायता करने वाला व्यक्ति बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण, चिकित्सा देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा तक पहुँच शामिल है। वह बच्चे एवं उसके माता-पिता या अभिभावकों को मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही और विकास के बारे में भी सूचित करेगा।

पोक्सो के कार्यान्वयन की स्थिति

आये दिन बाल यौन शोषण के बारे में देखते सुनते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में इसको रोकने के लिए क्या कोई प्रावधान मौजूद है ? आज बच्चों का यौन शोषण एक सामुदायिक चिंता का विषय हो गया है और इसके लिए कई विधायी और व्यावसायिक पहलों पर सबका ध्यान केंद्रित किया है । अगर हम भारत के कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 37% हिस्सा बच्चों का है और वही विश्व की कुल जनसंख्या में 20% हिस्सा बच्चों का बताया जाता है ।

इसी क्रम में सालों से बाल यौन शोषण पर ध्यान आकर्षित करने और इसके आसपास की चुप्पी की साजिश को तोड़ने के लिए आयोग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं । इसी का परिणाम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (POCSO), एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया है । यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए- Protection of Children From Sexual Offences Act (POCSO) बनाया गया है। इस अधिनियम (कानून) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पोक्सो एक्ट- 2012 के नाम से बनाया था । इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग- अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी केस (Sakshi vs. Union of India: (1999) 6 SCC 591) में बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आईपीसी की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला था । जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2009 में बच्चों के खिलाफ अपराध विधेयक का मसौदा परिचालित किया तब शुरू हुई कानून बनाने की प्रक्रिया जो अंत में POCSO अधिनियम बन गई ।

1. पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मीडिया के लिए विशेष दिशा निर्देश (प्रावधान)

1. धारा 20 के अनुसार मीडिया किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी किसी भी प्रकार की सामग्री जो उसके पास उपलब्ध हो, वह स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा। ऐसा ना करने पर यह कृत्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

2. कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफी सुविधाओं से पूर्ण और अधिप्रमाणित सूचना के बिना किसी बालक के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता हो ।

3. किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान जिसके अन्तर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र परिवार का विवरण, विद्यालय, पड़ोसी या किन्हीं अन्य विवरण को प्रकट नहीं किया जाएगा ।

4. परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाने के पश्चात सक्षम विशेष न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकरण बालक के हित में है।

5. मीडिया/स्टूडियो का प्रकाशक या मालिक संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 6 माह से 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

देखभाल और सहायता करने वाला सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। डायल करें 1098 जब...

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

- ☎ कोई बच्चा बीमार और अकेला हो
- ☎ किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो
- ☎ कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो, उसका शोषण हो रहा हो
- ☎ कोई बच्चा पिट रहा हो या
- ☎ काम करवा कर बच्चे को उसकी मजदूरी न दी गयी हो
- ☎ रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो
- ☎ आप चाइल्डलाइन को अपनी सेवाएं देना चाहें

2. पोक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम लिंग तटस्थ है, इसका अर्थ यह है कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग हो सकते हैं। यह एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधि को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा देता है। अधिनियम में यह भी बताया गया है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता है | अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है।

सभी के लिए अधिनियम के तहत यौन अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, और कानून में गैर-रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान शामिल किया गया है। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं कि

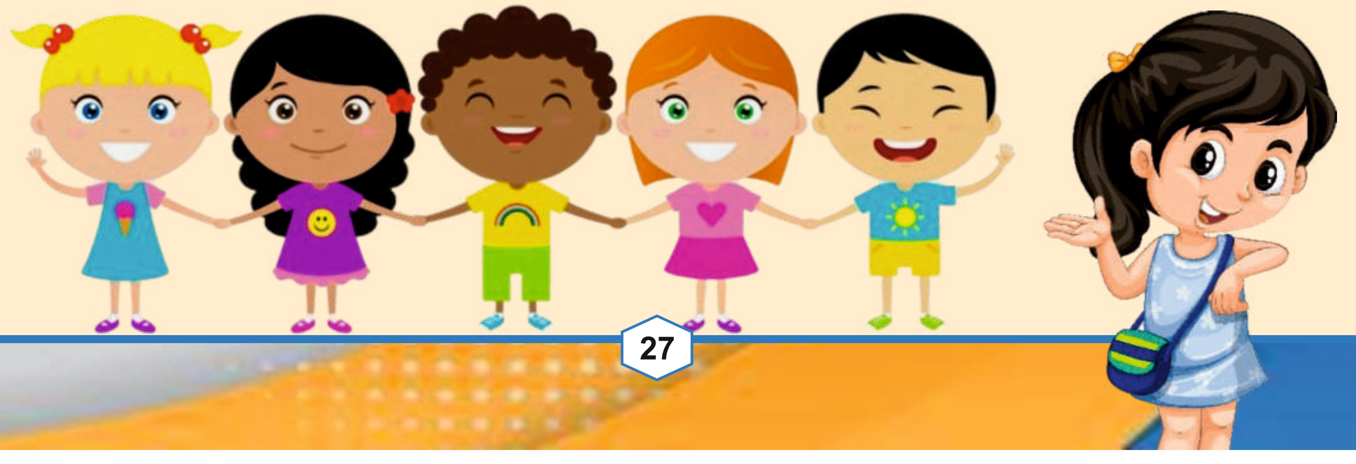

एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है की पहचान मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जायेगा। बच्चों को पूर्व-परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जानी है। बच्चे मुफ्त कानूनी सहायता एवं अपनी पसंद के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। इस अधिनियम में पुनर्वास के उपाय भी शामिल हैं, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी शामिल है।

3. पॉक्सो के तहत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य

आयोग के महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य पॉक्सो का अनुश्रवण करना भी रहा है। इस हेतु बिहार के विभिन्न जिलों में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों का निरीक्षण आयोग में नियुक्त वरीय विधि परामर्शी द्वारा किया जाता रहा है। वरीय विधि परामर्शी श्री अजय कुमार जी द्वारा विभिन्न जिलों में जाकर पॉक्सो कोर्ट से संबंधित विभिन्न स्तरों पर कार्य की प्रगति का निरीक्षण एवम् अनुश्रवण माननीय उच्च न्यायालय के समन्वय के साथ किया जाता रहा है। इसके अलावा आयोग द्वारा किए जा रहे कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम, अधिकारियों के साथ बैठक / वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि में भी प्रतिभागिओं को पॉक्सो एक्ट के संबंध में निरंतर जागरूक किया गया है।

बाल अधिकारों के संरक्षण एवं प्रतिस्थापना के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रयासों के बावजूद बाल दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण की घटनाएँ अप्रत्याशित रूप से बढ़ीं हैं या फिर दर्ज हो रहीं हैं। संभव है इन मामलों का प्रकाश में आने का कारण लोक जानकारी एवं जागरुकता का विस्तारित होना भी है। संबंधित विभागों एवं इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गईं सूचना के अनुसार बिहार राज्य में पॉक्सो एवं संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत बड़ी संख्या में दर्ज बाल यौन शोषण के मामले विभिन्न विशेष न्यायालयों (स्पेशल कोर्ट) में लंबित है।

समाज कल्याण विभाग / निदेशालय द्वारा दी गई एक अन्य सूचना के अनुसार बिहार के सभी 38 न्यायिक जिलों में विशेष न्यायालयों को प्रावधानित रूप से कार्यशील बनाने एवं पीडित पीडिता की पहचान उजागर न करने एवं स्वतंत्र रूप से बिना डर-भय के गवाही देने हेतु एक्सक्लूसिव विटनेस रूम बनाया गया है तथा उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। यह कार्य माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं किशोर न्याय अनुश्रवण समिति, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशन में संपादित किया गया है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर संसाधन उपलब्धता एवं बाल मैत्री वातावरण तैयार करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा अंतर्गत देय सेवाएँ

समेकित बाल विकास सेवा सेवाएँ

- स्वास्थ्य जाँच (Health Checkup)
- पूरक पोषाहार (Supplementary Nutrition)
- संदर्भित सेवाएँ (Referral Services)
- स्कूल पूर्व शिक्षा (Pre-School Education)
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition & Health Education)
- टीकाकरण (Immunization)

समाज कल्याण विभाग, बिहार

राष्ट्रीय **पोषण** अभियान

सुपोषित भारत
साक्षर भारत
सशक्त भारत

बच्चों को विभिन्न प्रकार का खाना देना क्यों जरूरी है?

विकास के लिए

जन्म से दो साल तक बच्चों की लम्बाई और वजन तीव्रता से बढता है। इस विकास के लिए प्रोटीन, विटामिन, जिंक और बहुत सारे कार्बोहाईड्रेट (उर्जा देने वाला खाद्यान्न) वसा की जरूरत होती है।

सीखने के लिए

पहले दो साल में ही बच्चे के दिमाग का विकास तेजी से होता है, बच्चा जैसे–जैसे देखना, सुनना, वस्तुओं को छूकर महसूस करता है उसकी याद्दाश्त बनने लगती है। अतः दिमाग के समुचित विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है।

गतिविधि के लिए

बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की गतिविधियां बढ़ती है जैसे– पलटना, रेंगना, बैठना, चलना, इत्यादि। इसके लिए बहुत सी उर्जा की जरूरत पड़ती है जो बच्चों को उपयुक्त पोषण से प्राप्त होती है।

संक्रमणों से लड़ने के लिए

पहले दो साल में बच्चे जैसे–जैसे बड़े होते हैं वह खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त जैसी बीमारियों से बार–बार ग्रसित हो जाते हैं, इन बीमारियों से लड़ने के लिए खाने में विभिन्न प्रकार के पोषण का होना जरूरी होता है।

पौष्टिक आहार करे, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास

समाज कल्याण विभाग, बिहार

कुपोषण दूर करने के लिए आई.सी.डी.एस. द्वारा संचालित योजनाएँ

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के छः माह पूरे हो जाने पर पूरक आहार खिलाने के शुरूआत की जाती है तथा माताओं को उचित परामर्श दिया जाता है।

- प्रत्येक माह के 19 तारीख को सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्रासन दिवस सह स्कूलपूर्व शिक्षा प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
- 6 से 8 माह के उम्र में दो से तीन बार खिलाने की आवश्यकता होती है। (दो कटोरी)
- 9 से 11 माह के उम्र में मात्रा बढ़ा कर तीन से चार बार खिलाने की आवश्यकता होती है। (तीन कटोरी)
- 2 वर्ष तक अनुपूरक आहार के साथ–साथ स्तनपान जारी रखें।

स्वास्थ्य/रेफरल सेवाएं

आंगनवाड़ी केन्द्र पर ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस को निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त किया जा सकता है:–

- **टीकाकरण** – गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 5 वर्ष के बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीका दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य जांच** – 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा प्रसूति महिलाओं का वजन लिया जाना, प्रसव पूर्व तथा पश्चात जांच, साधारण बीमारियों के लिए दवाएं तथा परामर्श दिया जाता है।

पूरक पोषाहार/स्कूल पूर्व शिक्षा

- तीन से छ: वर्ष के बच्चों को केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ माह में 25 दिन गर्म पका भोजन दिया जाता है।
- छः माह से तीन वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/प्रसूति महिला को प्रत्येक माह की 15 तारीख को घर ले जाने हेतु खाद्यान (THR) दिया जाता है।
- प्रत्येक माह के 19 तारीख को छः माह पूरे करने वाले बच्चों के लिए माताओं को ऊपरी आहार बनाने एवं खिलाने की विधि का प्रदर्शन के साथ अन्नप्राशन (मुंह जुट्ठी) कराया जाता है।

अन्य योजनाएं

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY)

गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम जीवित संतान हेतु 5000/– रूपये की सशर्त राशि दो किस्तों में दी जाती है तथा दूसरे शिशु के कन्या होने पर 6000/– रूपये एक किश्त में दी जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र बा.वि.परि. कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY)

कन्या शिशु के जन्म पर 2000/– रूपये तथा एक वर्ष पूर्ण होने पर 1000/– रूपये भेंट रूवरूप, माता पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

महिला एवं बाल विकास निगम

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आलोक में 28 नवम्बर 1991 को महिला विकास निगम का गठन किया गया था। यह एक स्वायत्तशासी सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन,
2. महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं प्रोत्साहन,
3. महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता,
4. दीर्घकालीन आजीविका निर्माण का प्रोत्साहन,
5. सांस्कृतिक कौशल को प्रोत्साहन,
6. महिलाओं की संस्थाओं का गठन, पोषण एवं क्षमता विकास,
7. सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के साथ संलग्नता।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :–

महिलाओं एवं किशोरियों के समेकित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित है ।

सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में वैसे सभी अभिवंचित महिला अभ्यर्थी के उतीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः 50,000/– (पचास हजार) रुपये तथा 1,00,000/– (एक लाख) रुपये की 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देय है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2022 में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की कुल 34 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया है, जिसमें से 06 लाभान्वित अभ्यर्थी अंतिम रूप से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुई हैं।

67वीं एवं 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण क्रमशः 1198 एवं 207 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है जिसमें 108 महिला अभ्यर्थी अंतिम रुप से चयनित हुई है।

अल्पावास गृहः – घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से किसी महिला अथवा किशोरी को अपने घरों में आवासन की असुविधा होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालीन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिलें में अल्पावास गृह की स्थापना, एव संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दी गई है, जिसके आलोक में वर्तमान समय में राज्य के 11 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा हैं।

विशेष महिला कोषांग :– थानों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण, परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज कराने में महिलाओं एवं किशोरियों को सहयोग देने हेतु पटना जिला के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग की स्थापना की गई है। निगम द्वारा प्रत्येक विशेष महिला कोषांग में एक परामर्शी की नियुक्ति की गई है।

सामाजिक पुनर्वास कोष :– मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के जरूरतमन्द महिलाओं एवं किशोरियों के पुनर्वास के लिए एक कोष की व्यवस्था की गई है, जिसे सामाजिक पुनर्वास कोष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक पुनर्वास कोष घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक एवं आपराधिक हिंसा, मानव पणन, डायन प्रथा आदि से पीड़ित महिलाओं एवं उनके 5 वर्ष के आश्रित बच्चों के चिकित्सकीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गठित किया गया है।

सेवा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत महिलाओं को हाउस कीपिंग, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर एवं सेल्स मैंनेजमैंट का प्रशिक्षण कार्य क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता धारक प्रशिक्षण संस्थानों /संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन की मार्गदर्शिका एवं सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से चयनित प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क दिया जाता है। अबतक कुल 648 बैचों के 702 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

पालनाघर :– यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कामकाजी माता–पिता अपने 05 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को अपने कार्य के दौरान छोड़ जाते हैं, तथा वहाँ बच्चे के सर्वांर्गीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। कामकाजी महिलाओं के छः माह से पांच वर्ष तक के छोटे बच्चों के कार्यस्थल के आसपास समुचित देखभाल हेतु पालनाघर का प्रावधान मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत किया गया है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान :– सरकार ने राज्य में व्याप्त बाल विवाह एवं दहेज़ प्रथा को गंभीरता से लिया है। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुप्रथा है जिसका बच्चों के मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक नुकसान विभिन्न अध्ययन में प्रमाणित हो चुका है। अतः बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

महिला हेल्पलाईन नंबर 181 :– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से घरेलू हिंसा से पीड़ित , मानव पणन की शिकार, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, लैंगिक हिंसा एवं अन्य किसी भी प्रकार से प्रताड़ित तथा पीड़ित महिलाओं को 24x7 सेवा उपलब्ध कराने के लिए 181 महिला हेल्पलाईन टॉल फ्री नंबर स्थापित किया गया है। इस वर्ष महिला हेल्पलाइन (181) के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) एवं इमरजेन्सी रिस्पोन्स सपोर्ट सिस्टम (112) के साथ जोड़ा गया है।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ :– भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं लिंगानुपात में संतुलन के लिए वैशाली जिला से प्रारंभ किया गया है। बिहार में एक विशेष पहल के तहत **"घर का नाम बेटी के नाम"** एक अभियान शुरू किया गया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम नवाचार के रूप में पहचान मिली है। इस योजना के अंतर्गत जिला पदाधिकारी की देख रेख में टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। टास्क फोर्स का गठन जिला से प्रखण्ड स्तर तक किया जा चुका है।

माहवारी स्वच्छता प्रबंधन :– किशोरियों एवं महिलाओं को सुरक्षित माहवारी प्रबंधन के महत्व और तरीकों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम का राज्य व्यापी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस रोडमैप के तहत विकास आयुक्त के अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स एवं जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं जीविका की भूमिका प्रमुख है। इस अभियान के तहत राज्य स्तर पर रेडियो कैंपेन के साथ साथ सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के विषय पर सही उपायों और व्यवहारों को अपनाने के लिए जागरूकता फैलायी जा रही है।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनाएं

मिशन वात्सल्य योजनाः – बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वन केन्द्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), राज्य सरकार के साथ समन्वय कर किया जा रहा है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2015 यथा संशोधित 2021 में वर्णित प्रावधानानुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं विधि – विवादित 0–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षा योजना वर्ष 2010 – 11 से ही लागू है जिसका नाम वर्ष 2017 में परिवर्तित कर बाल संरक्षण सेवाएं किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित बाल संरक्षण सेवाएँ की विभिन्न योजनाएँ / अवयवों के मानदण्ड में कतिपय संशोधन करते हुए वर्ष 2021–22 से मिशन वात्सल्य योजना में समाहित कर लिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण :– योजना अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे जो अपने माता–पिता / वैधिक अभिभावक से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हों, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनः परिवार में एकीकृत कराना एवं दत्तकग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है।

जिला बाल संरक्षण इकाईः– जिला स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं अथवा मिशन वात्सल्य को कार्यान्वित कराने एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी नामित है। उनके नियंत्रणाधीन उक्त कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु जिला, बाल संरक्षण इकाई संचालित हैं जिसके प्रधान सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई होते हैं।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संस्थानः–

बाल गृह :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए बाल गृह एवं बालिका गृह का प्रावधान है।

विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा–65 के अधीन वर्तमान में राज्य के 30 जिलों में कुल–31 विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का संचालन मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं / जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त संस्थान में 0–6 वर्ष आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद 10 बालकों का आवासन सुनिश्चित किया जाता है।

उक्त संस्थान से ही संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्रावधानानुसार अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के दत्तकग्रहण के मामलों की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। उक्त संस्थान में आवासित बच्चों एवं दत्तकग्रहण के योग्य माता–पिता से संबंधित आँकड़ों का संधारण एवं दत्तकग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया www.cara.wcd.gov.in पर केयरिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

किशोर न्याय परिषदः – जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के आलोक में प्रत्येक जिला में एक किशोर न्याय परिषद गठित है। इसके प्रधान सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होते हैं एवं 02 सामाजिक कार्यकर्ता होते है, जिनमें 01 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

बाल कल्याण समितिः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 के आलोक में राज्य के सभी जिले में बाल कल्याण समिति गठित है, जिसमें 01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य होते हैं।

बाल संरक्षण समितिः– बाल संरक्षण समिति की परिकल्पना बाल अधिकारों के प्रति सामुदायिक जागरूकता एवं चेतना सृजित करने, बाल अधिकारों के हनन के मामलों की रिपोर्टिंग करने एवं उससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने, विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों के लिए वार्षिक योजना तैयार करने एवं कार्यान्वित कराने एवं बच्चों से संबंधित अन्य विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने हेतु राज्य के सभी जिलों, प्रखण्डों एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति गठित है।

अन्य सेवाएँ एवं कार्यक्रम

चाइल्डलाईन (1098) सेवा :– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मिशन वात्सल्य एवं चाईल्ड हेल्पलाईन की विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य में चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाओं का संचालन दिनांक–07.07.2023 से किया जा रहा हैं।

चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एवं एम.आई.एस. सिस्टम :– गुमशुदा एवं बरामद बच्चों को उनके परिवार से मिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा NIC के सहयोग से एक वेब पोर्टल (trackthemissingchild.gov.in) विकसित किया गया है। मिशन वात्सल्य योजना के अधीन राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत वर्तमान में किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से संबंधित मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन हेतु एम.आई. एस. सिस्टम विकसित किया गया है।

किशोर न्याय निधिः– किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के आलोक में किशोर न्याय निधि की भी स्थापना की गयी है। उक्त निधि में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के संरक्षण के विभिन्न उपायों को और सुदृढ़ करने हेतु किया जाएगा। किशोर न्याय निधि में प्राप्त राशि के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा मार्गदर्शिका बनायी गयी है।

परवरिश योजना : – यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के गैर–संस्थानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दुःसाध्य रोग से पीड़ित (एच.आई.वी., एड्स एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यागंता के शिकार माता–पिता के संतान के बेहतर पालन–पोषण एवं उनके गैर–संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों को पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि 1000/– रूपये प्रतिमाह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है।

सरकार द्वारा बच्चों के लिए संबंधित योजनाएँ / कार्यक्रम

बाल हृदय योजना

Bal Hriday Yojana

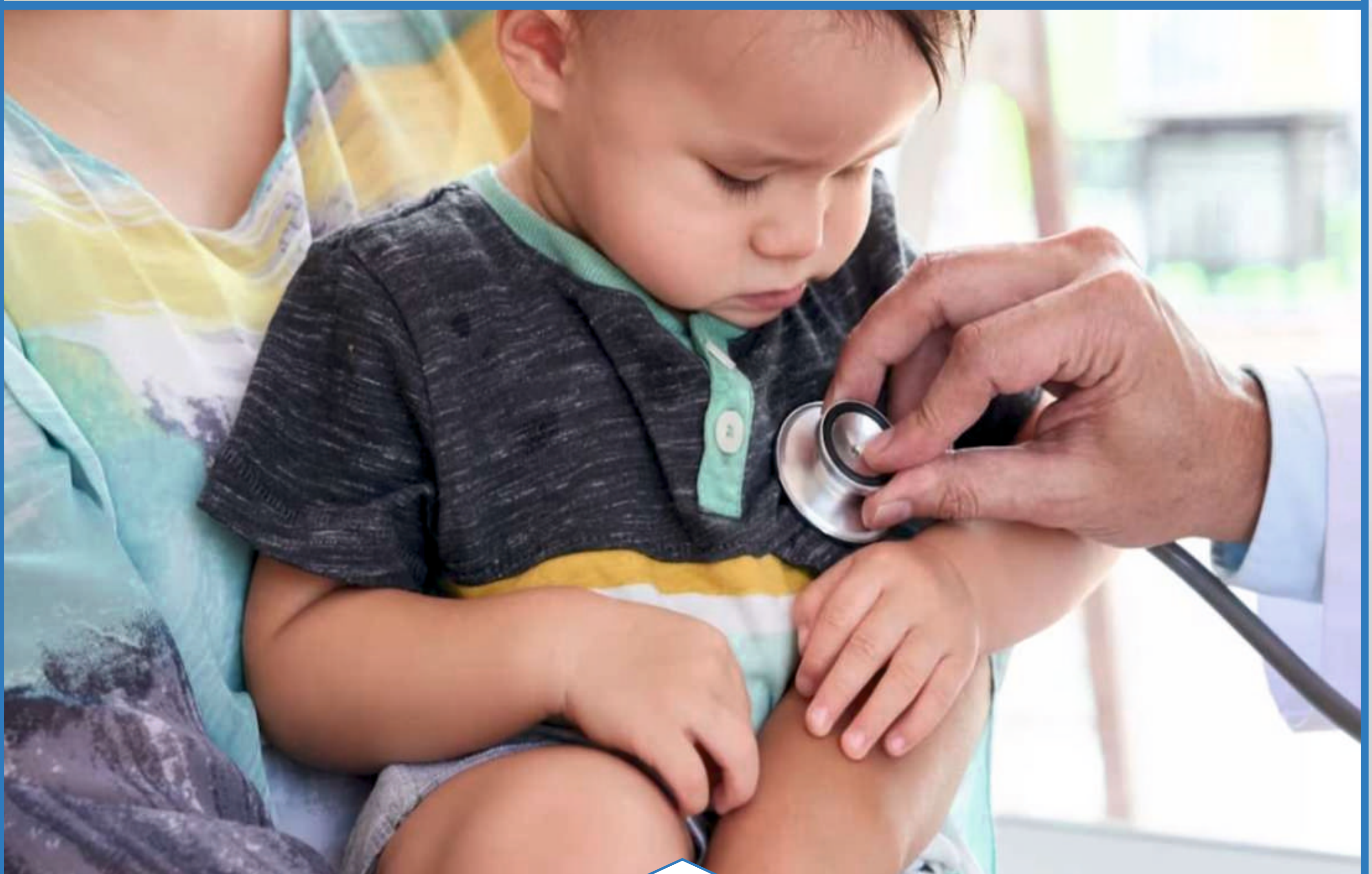

संकल्प संख्या – 74(14) दिनांक 12/01/2021 के द्वारा बिहार राज्य में जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मुफ्त शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

बिहार राज्य में दो समर्पित अस्पतालों को यह सेवा प्रदान करने हेतु चिन्हित किया गया है।

1. इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान
2. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान

कार्यान्वयन भागीदार

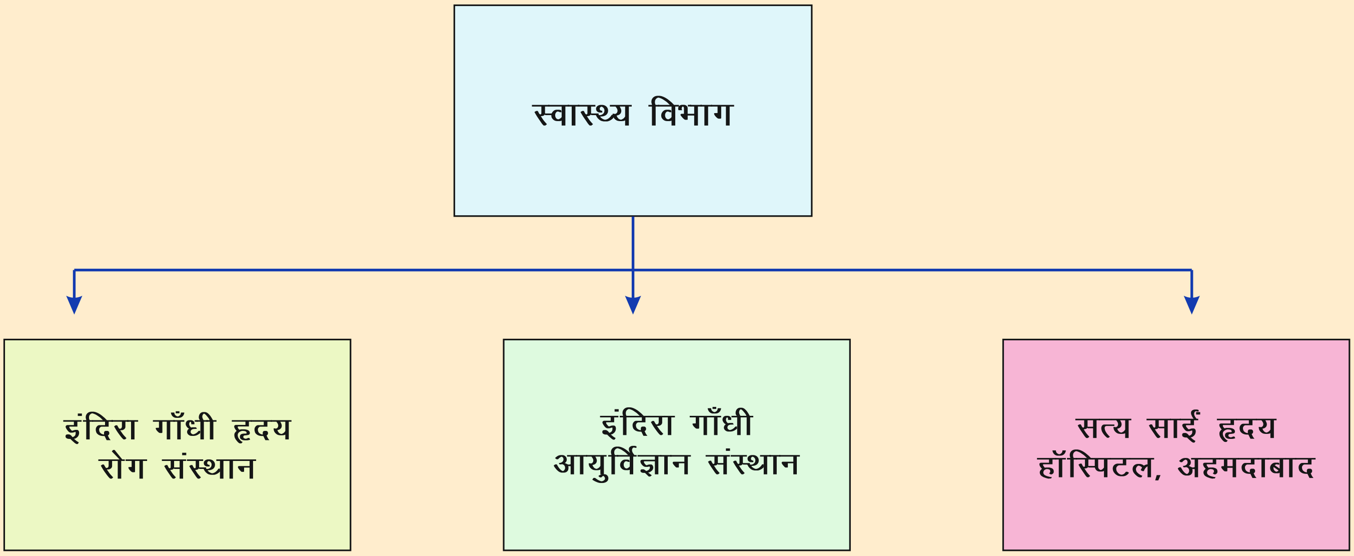

बाल हृदय योजना का प्रारंभ

माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 2.04.2021 को प्रथम बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

21 बच्चों को उनके परिचारक के साथ 02.04.2021 को हवाई यात्रा के माध्यम से पटना से अहमदाबाद भेजा गया।

आर.टी.ई. 2009

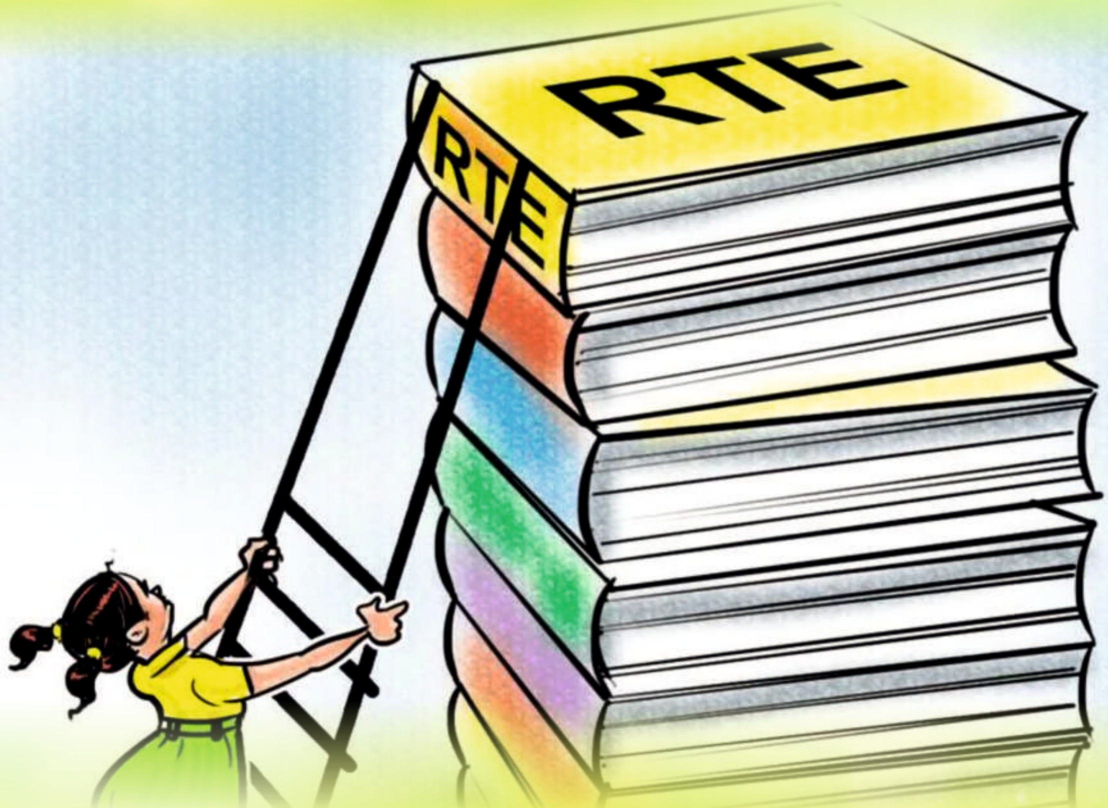

आयोग की भूमिका

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009

- 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
- धारा (12) (1) (C) के अंतर्गत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों के प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटे आरक्षित होनी चाहिए।
- किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा ।
- उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
- किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।

.1 आर.टी.ई. एक्ट के अनुपालन में आयोग की भूमिका

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग आरटीई एक्ट को लागू करवाने में शुरू से ही प्रयत्नशील रहा है। आयोग की माननीय अध्यक्षा एवं सदस्य महोदया द्वारा जब भी जिलों का भ्रमण किया जाता है तो आरटीई एक्ट के अनुपालन का निरीक्षण करना उनकी प्राथमिकता रहती है। आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी आरटीई एक्ट के अनुपालन करवाने हेतु

पत्र दिया गया है। अपने कार्यों के प्रति वचनबद्ध आयोग द्वारा आरटीई एक्ट के अनुपालन हेतु जिलों से भी नियमित रूप से प्रतिवेदन प्राप्त कर उनका नियमित अनुश्रवण किया जाता है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष महोदया के द्वारा नियमित रूप से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन कराने के संबंध में पत्र लिखा गया। जिसमें उपर्युक्त विषय के संबंध में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। आरटीई के तहत हर विद्यालय को 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुनः स्मारित करते हुए निर्देश दिया गया है कि नामांकन वर्ष 2022- 23, 2023-24 से अपने जिले में संचालित सभी निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई एक्ट की धारा 12(C) के अंतर्गत गरीब परिवार के बच्चों का नामांकन करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा इसका प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

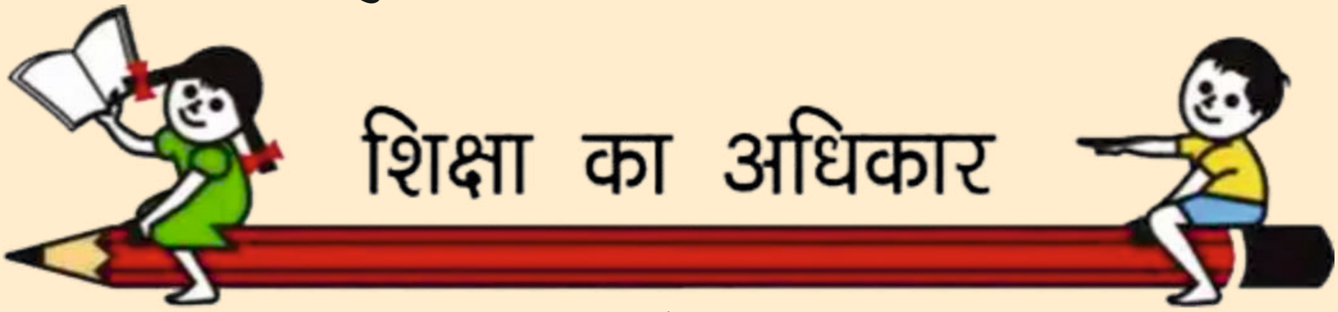

किशोर न्याय अधिनियम, संशोधन एवं आयोग की जिम्मेदारियां

JJ Act 2021

जेजे संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत नवीनतम परिवर्तन | Latest Changes under JJ Amendment Act, 2021

हाल ही में, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

गंभीर अपराधों की परिभाषा में बदलाव | Change in definition of serious offences

- संशोधन अधिनियम के अनुसार, यदि किसी बच्चे पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो किशोर न्याय बोर्ड इसकी जांच करेगा।
- गंभीर अपराध वे हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) या किसी अन्य कानून के तहत सजा तीन से सात साल के बीच कारावास है।
- संशोधन के अनुसार, प्रमुख अपराधों में अब वे भी शामिल हैं जिनके लिए न्यूनतम सजा या तो निर्दिष्ट नहीं है या सात साल से कम जेल है और अधिकतम सजा सात साल से अधिक है।

1. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम का विकास

किशोरों हेतु पहली बार पृथक कानून के रूप में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 अस्तित्व में आया । पुनः संशोधनोंपरान्त किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदल दिया । किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 उन बच्चों से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है, जिन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और जिन बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है ।

पुनः उक्त जे जे. अधिनियम, 2015 में संशोधन जे जे. अधिनियम, 2021 के अंतर्गत किया गया है। इसमे मुख्यतः दत्तक ग्रहण हेतु दीवानी अदालत के स्थान पर जिला पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है।

2. जे. जे. एक्ट और आयोग द्वारा प्रयास

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल संरक्षण एवं अधिकारों से संबंधित जे. जे. एक्ट के अनुपालन हेतु निरंतर कार्य किया गया है । बैठक एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जागरूकता अथवा आयोग द्वारा गृहों का भ्रमण / निरीक्षण कर उक्त अधिनियम हेतु निरंतर संवेदीकरण किया गया है ।

उक्त एक्ट के समुचित अनुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था यथा यूनिसेफ के साथ भी आयोग नियमित रूप से संपर्क में रहकर कार्य करता रहा है। साथ ही संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग एवम् संबंधित निदेशालय समाज कल्याण निदेशालय से नियमित रूप से समन्वय स्थापित कर बच्चों के हित में अनुशंसा एवम् कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई विभागों जैसे श्रम संसाधन, पुलिस विभाग, गृह विभाग, जिला प्रशासन आदि के साथ भी समन्वय कर जेजे एक्ट का अनुश्रवण किया जाता है| उक्त एक्ट से संबंधित यदि कोई शिकायत आयोग में की जाती है तो उसका त्वरित निष्पादन संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय कर आयोग द्वारा किया जाता रहा है।

ऑनलाईन संवेदीकरण कार्यशाला

दिनांक : 04.09.2023 को आयोग एवं संस्था प्रोजेक्ट चिल्ड्रेन अगेन्स्ट चाइल्ड अब्यूज (Project CACA) द्वारा संयुक्त रूप से बाल सुरक्षा हेतु संवेदीकरण एवं जागरूकता के विषय पर ऑनलाईन कार्यशाला।

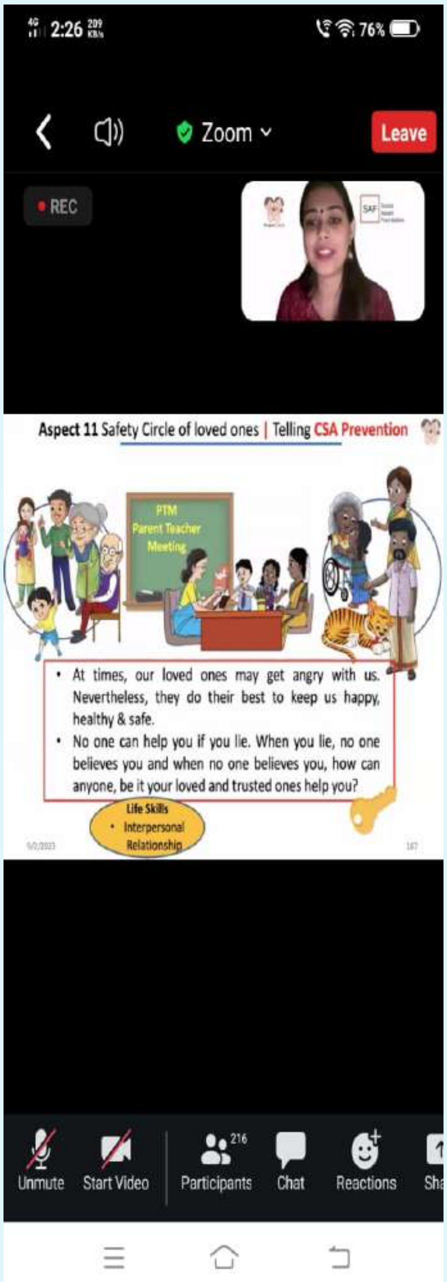

उद्देश्य

यह परियोजना अनुसंधान और पाठ्यक्रम-आधारित हस्तक्षेप है जो इसके विकास और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं की एक लोकतांत्रिक श्रृंखला का अनुसरण करती है। यह परियोजना बाल यौन शोषण की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने वाली समिति द्वारा संचालित है। यह हमारे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के कानूनी, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करती है। इसमें मुख्य साधन, CACA सुरक्षा कार्य पुस्तिकाओं के आसपास निर्मित कई उपकरण और संसाधन शामिल हैं। ये उपकरण और संसाधन सभी हितधारकों, बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को संबोधित करने वाले डिलीवरेबल्स का एक सेट बनाते हैं। परियोजना की आत्मनिर्भरता स्कूलों में CACA सुरक्षा कार्यपुस्तिकाओं के सशुल्क प्रचलन में निहित है। स्कूल बुकलिस्ट में CACA सुरक्षा कार्यपुस्तिकाओं का विवरण परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू करता है।

आयोग एवं संस्था Project CACA द्वारा संयुक्त रूप से बाल सुरक्षा हेतु संवेदीकरण एवं जागरूकता के विषय पर ऑनलाईन कार्यशाला ।

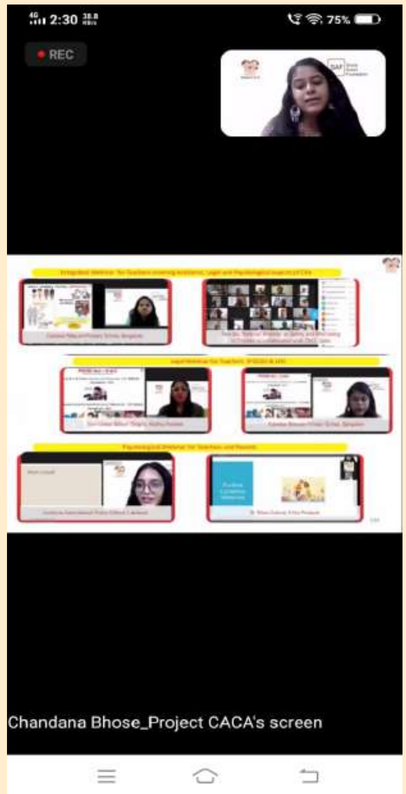

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं संस्था प्रोजेक्ट चिल्ड्रेन अगेन्सट चाइल्ड एब्यूज (Project CACA) के संयुक्त तत्वाधान में वेबिनार के माध्यम से "Children Safety and Well-Being in the context of Various circulars/Guidelines / Notifications & Laws". के विषय पर संवेदीकरण हेतु कार्यशाला का आयोजन दिनांक-04.09.2023 को किया गया। इस कार्यशाला में बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी विशेषकर पटना के मार्फत सभी स्कूलों (प्राइवेट एवं सरकारी) नें भाग लिया। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों की टीम एडवोकेट नेहा त्यागी, विदुषी जैन, प्रतिमा मलहोत्रा एवं नंदनी गुप्ता के द्वारा बाल सुरक्षा के बिन्दु पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा कानूनी मुद्दों में POCSO Act-2012 (पोक्सो अधिनियम-2012) एवं किशोर न्याय संबंधी पाठ्यक्रम एवं मनोवैज्ञानिक विषय में बाल यौन शोषण से बचाव के पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देकर सभी प्रतिभागियों का संवेदीकरण किया गया।

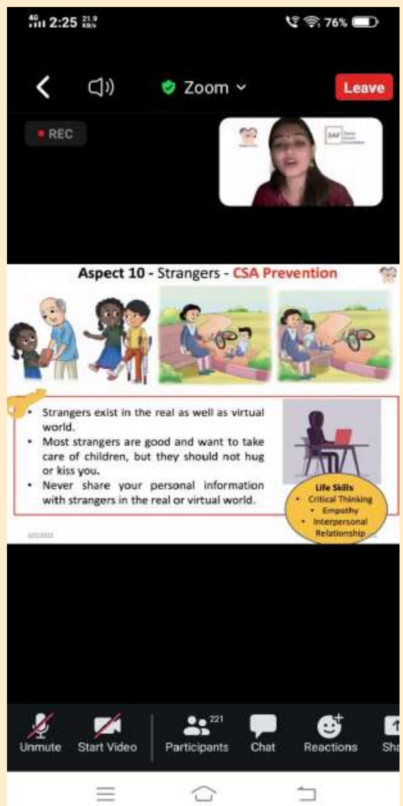

आयोग में 26 जनवरी 2024 झंडोत्तोलन कार्यक्रम

26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोग कार्यालय में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सचिव, बि.बा.अ.सं. आयोग द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। आयोग के सभी कर्मी पदाधिकारी तथा आस-पास के कुछ बच्चे उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बच्चों द्वारा देशभक्ति गान एवं नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जिससे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम अति उत्साहपूर्ण एवं आनन्द से परिपूर्ण हुआ।

26 जनवरी 2024 झंडोत्तोलन कार्यक्रम

15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम

15 अगस्त 2023 – स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम

15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोग कार्यालय में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बि.बा.अ.सं. आयोग द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। उक्त कार्यक्रम में आयोग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के अतिरिक्त समीप के झुग्गी–झोपड़ी में रहनेवाले बच्चों को भी शामिल किया गया, जिनकी उपस्थिति से झंडोत्तोलन कार्यक्रम अत्यधिक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण द्वारा प्रतिवेदन का विमोचन एवं बच्चों के अधिकारों पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला दिनांक 23.02.2023

दिनांक 23.02.2023 को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना में प्रतिवेदन एवं बच्चों के अधिकारों पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।

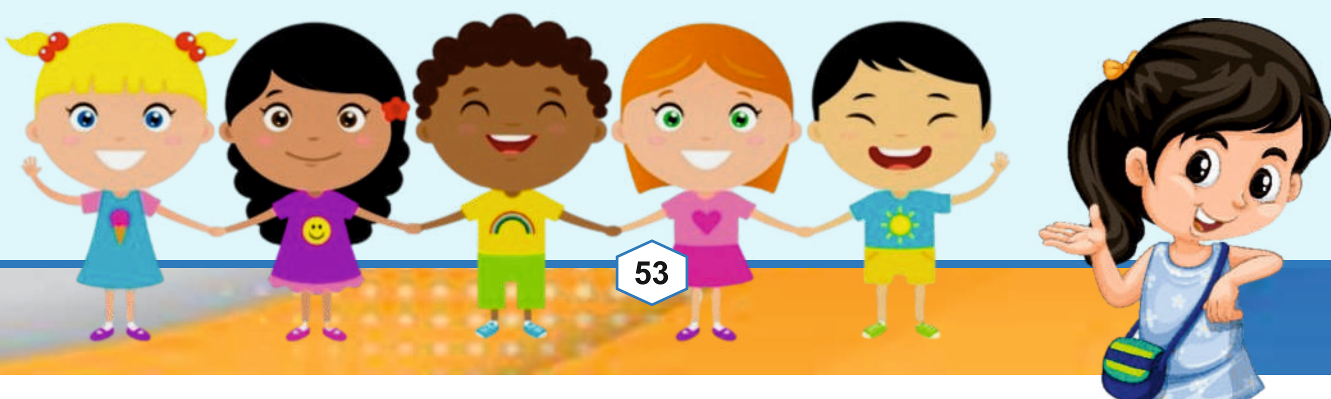

इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, श्री मदन सहनी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। माननीय मंत्री द्वारा अपने संबोधन में बच्चों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास को मुख्य प्राथमिकताओं में आगे रखे जाने को कहा गया।

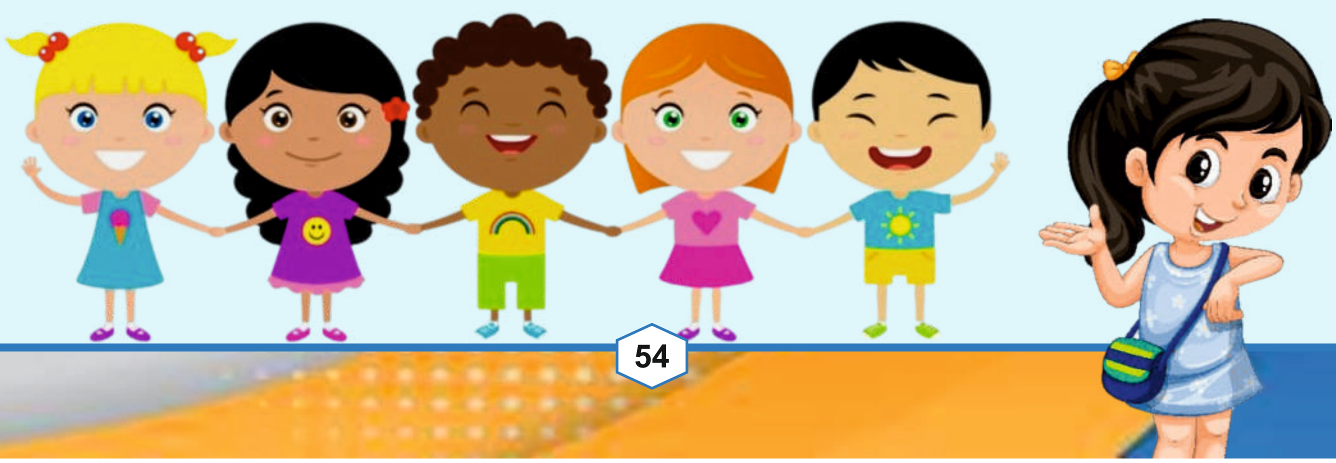

इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रो. (डॉ०) प्रमिला कुमारी, माननीय सदस्य श्रीमति सुनंदा पांडेय, सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, श्री प्रेम सिंह मीणा द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया।

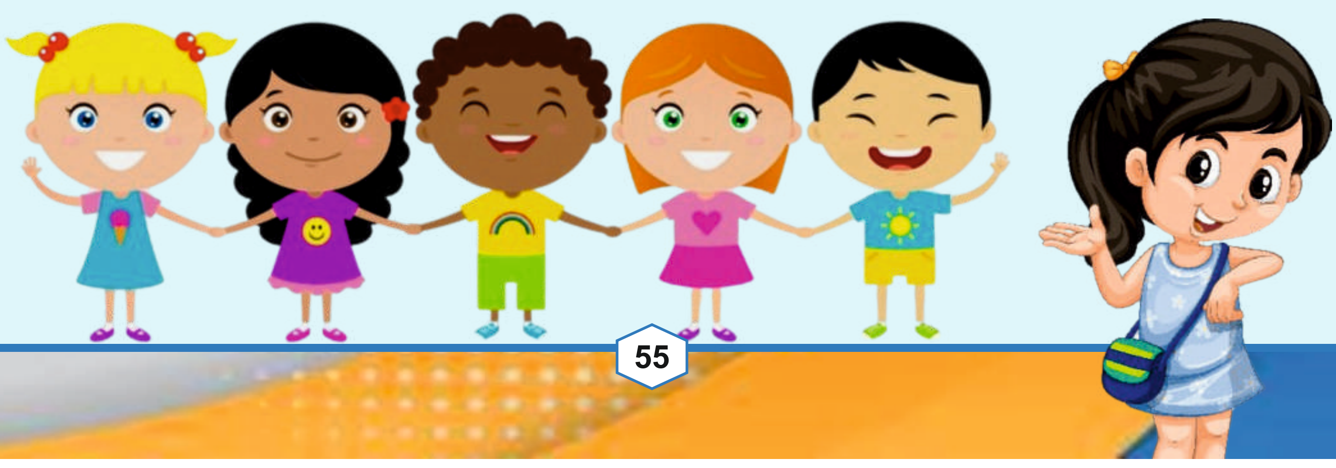

इस कार्यशाला में सभी जिलों से आए cwc अध्यक्ष / सदस्य, जिला शिक्षा पदा०, जिला प्रोग्राम पदा० (समग्र शिक्षा) सहायक निदेशक (जिला बाल संरक्षण ईकाई) पदाधिकारियों को विशेषज्ञों द्वारा बाल संरक्षण, जे.जे. एक्ट, पॉक्सो एक्ट जैसे कई अधिनियम की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया।

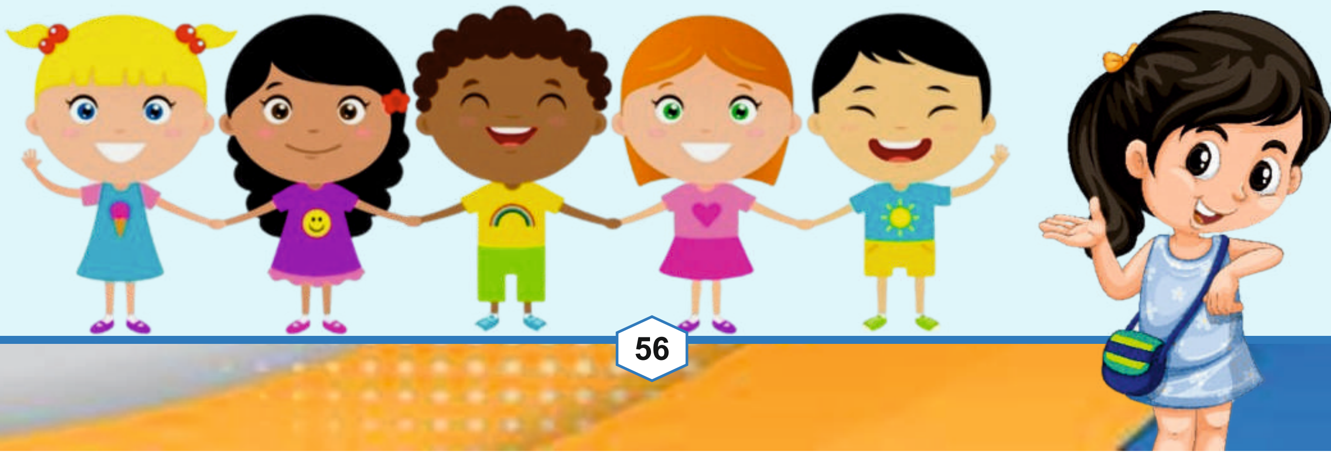

दिनांक 31.01.2023 को युनिसेफ एवं अन्य के साथ बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर लिये गये निर्णय के अनुपालन एवं पूर्व के अन्य मुद्दों पर आपसी समन्वय हेतु दिनांक 19.05.2023 को बैठक निर्धारित की गयी।

दिनांक 19.05.2023 को सम्बंधित बैठक में माननीय सदस्य संग पदाधिकारी।

इंटर्नशिप शोधार्थी को माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

दिनांक 31.01.2023 को बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हेतु माननीय अध्यक्ष प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी

दिनांक : 27.06.2023 को दरभंगा जिले मे एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम

दिनांक 25.07.2023 को वैशाली जिले में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम

St. Paul's Academy
Prize Distribution Ceremony
Celebrating Excellence

हाजीपुर (वैशाली)
मो. 9262395032
6224266075

दिनांक 26.07.2023 को राज्य के विभिन्न जिलों से आये बच्चों का आयोग कार्यालय में भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यक्रम

बि.बा.अ.सं. आयोग कार्यालय में दिनांक 26.07.2023 को राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों से आए बच्चों /छात्र/छात्राओं द्वारा भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई। उक्त कार्यक्रम में आयोग की सदस्य श्रीमती सुनंदा पाण्डेय द्वारा बच्चों से वार्तालाप किया गया तथा उनके अनुभवों एवं उनके जिलों से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। बच्चों को उनके अधिकारों के विषय में आयोग द्वारा विशेष जानकारी प्रदान की गई। सचिव, बि.बा.अ.सं. आयोग द्वारा सभी बच्चों को उनके रोजमर्रा के जीवन में अपनाए जानेवाले सुरक्षा उपायों के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई ताकि बच्चे दैनिक जीवन में आनेवाली सकारात्मक विषयों के साथ नकारात्मक मुद्दों को भी सहजता से अपना सके एवं उनका दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम हो सके।

संयुक्त राष्ट्र
बाल अधिकार समझौता
Galaxy A13

संयुक्त राष्ट्र
Galaxy A13

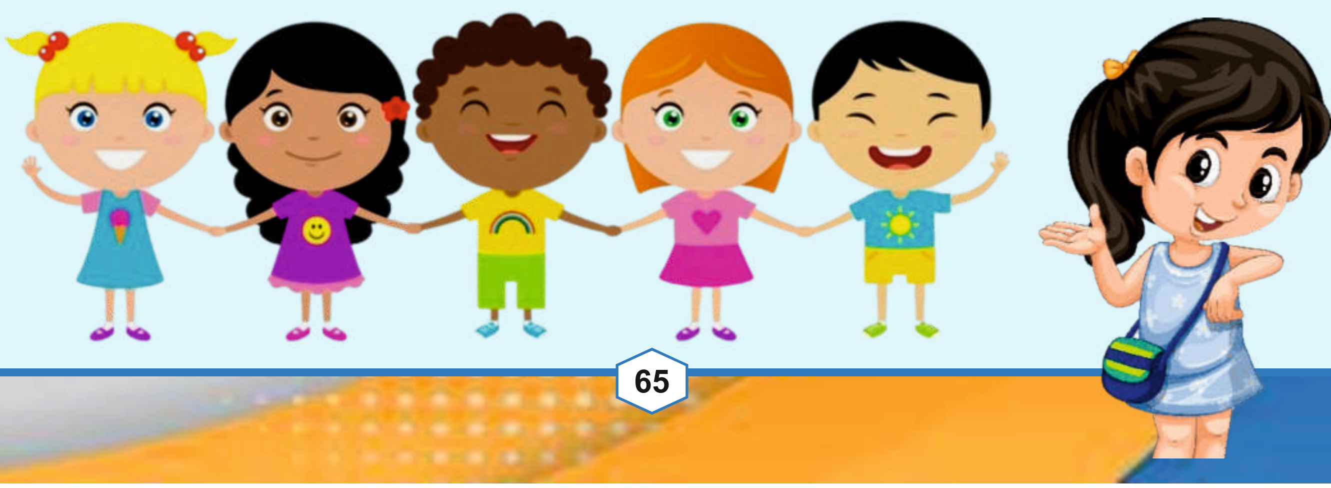

संयुक्त राष्ट्र
बाल अधिकार समझौता
हर बच्चे को सुरक्षा का अधिकार
Galaxy A13

Galaxy A13

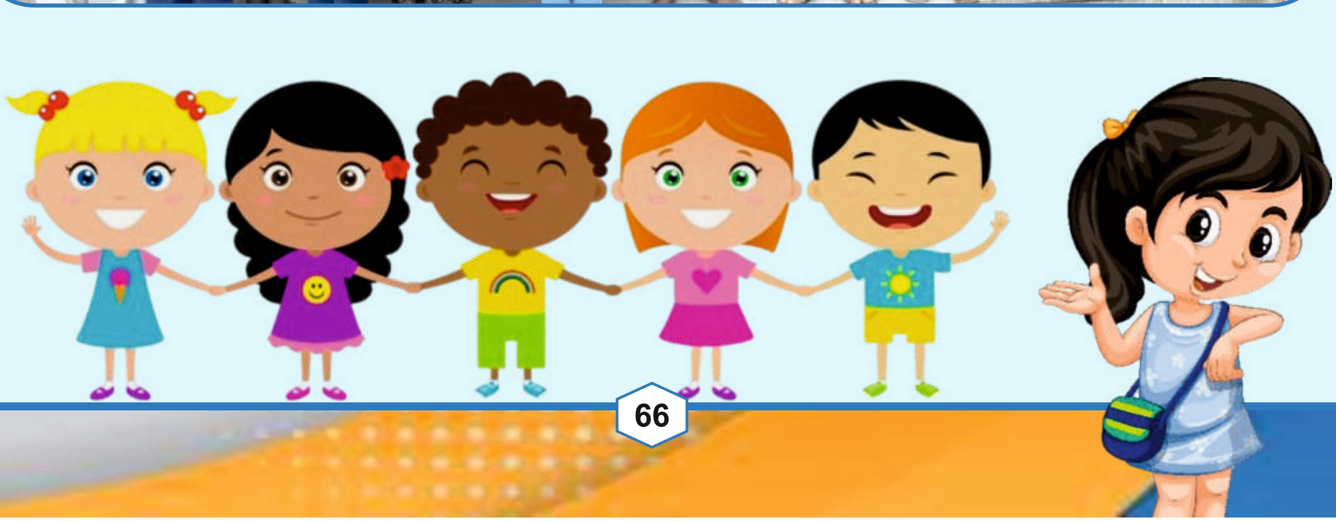

दिनांक 28–29 जुलाई 2023 को राजस्थान बा.अ.सं. आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला

दिनांक 28–29 जुलाई 2023 को राजस्थान बा.अ.सं. आयोग द्वारा **Promoting Safe Online Space for Children** विषय पर राष्ट्रीय स्तर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव बि.बा.अ.सं. आयोग द्वारा भाग लिया गया। उक्त कार्यशाला में आधुनिक डिजिटल स्पेस में बच्चों की कैसे सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित की जाए, विषय पर सभी प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई एवं परिचर्चा की गई।

माननीय सदस्य श्रीमती सुनंदा पांडेय, सदस्य, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना की अध्यक्षता में वंचित / दलित / आदिवासी समुदाय के बच्चों के साथ आयोग का भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चों के भ्रमण कार्यक्रम के आयोजन में गैर सरकारी संस्थान बिहार दलित विकास समिति, पटना द्वारा बच्चों को आयोग आने में सहयोग प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आये बच्चों को आयोग के कार्यालय, पदधारक कार्यों की जानकारी दी गई। उन बच्चों को शैक्षणिक योग्यता, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया।

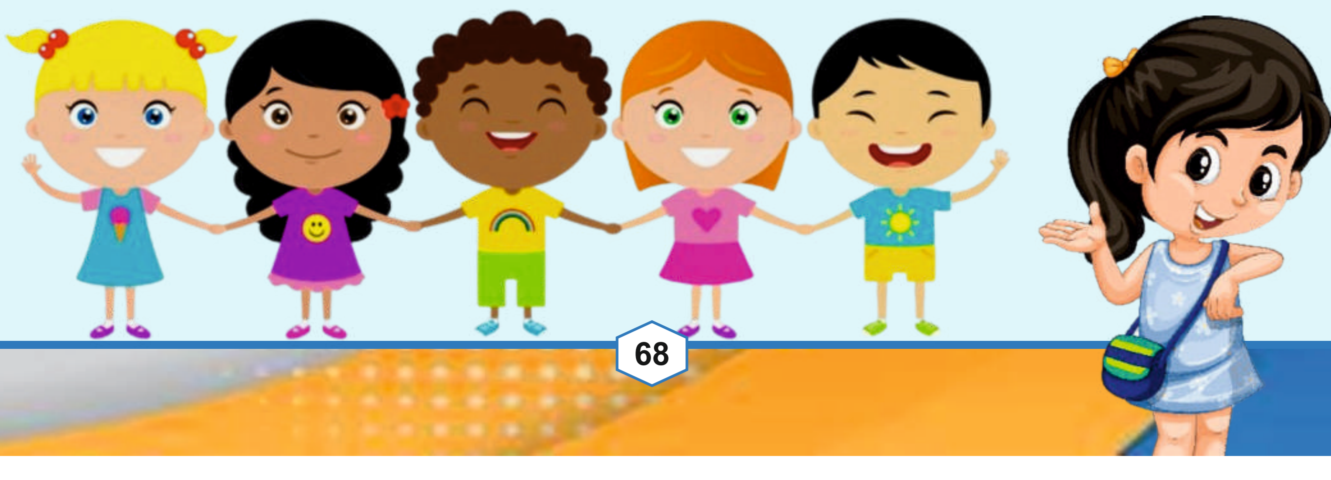

संयुक्त राष्ट्र
बाल अधिकार समझौता
हर बच्चे को सुरक्षा का

4. प्रो.(डॉ)प्रमिला कुमारी
Galaxy A13

ST. PAUL'S ACADEMY
AFFILIATED TO C.I.S.C.E. BOARD

St. Paul's Academy
Prize Distribution Ceremony
Celebrating Excellence

The greatest lessons in life, if we would but stoop and humble ourselves, we would learn not from the grow-up learned men, but from the so-called ignorant children.

- Mahatma Gandhi

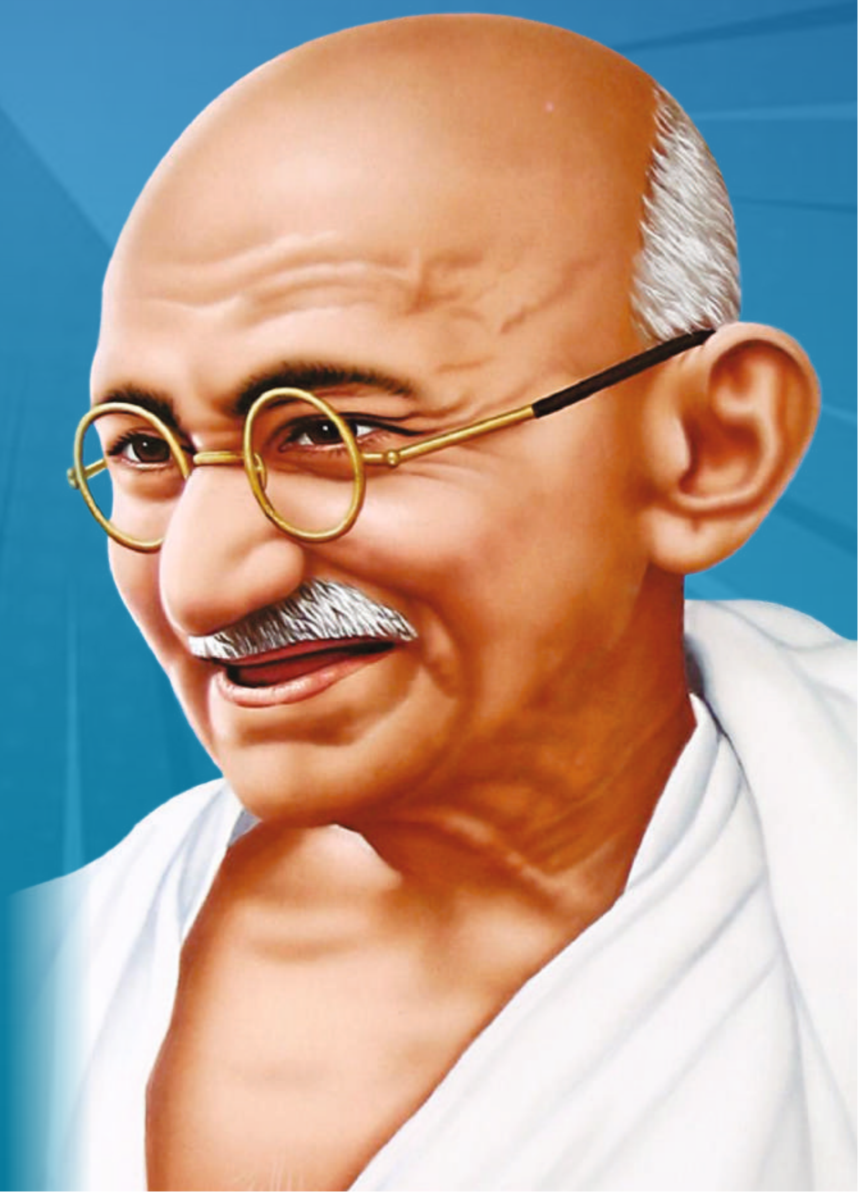

State Commission for Protection of Child Rights

22/B, Harding Road, Patna - 800 001, Bihar

Phone : 0612-2215 288; E-mail : scpcr.bihar@gmail.com

www.bscpcr.org.in

CHILD HELPLINE NO. **1098**

TOLL FREE NO. **112**